

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.)

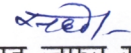
:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::

मैं, मोहम्मद जफर खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला, जिला-मण्डला, म. प्र., भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 व 13 एवं म0प्र0, दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम-31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अति आवश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य एवं रिमाण्ड कार्य हेतु तहसील व जिला मण्डला के लिए **माह-मई एवं जून वर्ष 2026** में न्यायिक पदस्थापना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों की निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ :-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	माह-मई 2026	माह-जून-2026
1.	श्रीमति नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।	10 एवं 24 मई	28 जून 2026
2	डॉ. श्रीमति स्वाती चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।	निरंक	14, 20 एवं 21 जून, वर्ष, 2026
3	श्री मोहम्मद सैफी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	01, 02 एवं 03 मई 2026	निरंक
4	सुश्री शिवानी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	16, 17 एवं 27 मई 2026	निरंक
5	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	31 मई 2026	06, 07 एवं 26 जून वर्ष, 2026
6	श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस।
7	श्रीमती पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास।	1, 2, 3, 10, 16, 17, 24, 27 मई 2026	निरंक
8	सुश्री सैफी ताजीर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास।	31 मई 2026	06, 07, 14, 20, 21, 26, 28 जून वर्ष 2026
9	श्रीमती मीनल गजबीर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिछिया।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस	सम्पूर्ण अवकाश दिवस

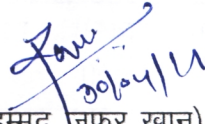
टीप :-

01.	मण्डला जिले के मुख्यालय मण्डला, तहसील निवास में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसकी अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है, उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने/प्रशिक्षण/स्थानांतरण होने की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का कम आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक अनुसार संबंधित प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास रहेगा। तहसील नैनपुर एवं बिछिया में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने/प्रशिक्षण/स्थानांतरण की दशा में जिला मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसकी अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है, के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य किया जावेगा।
02.	उपरोक्तानुसार नियत रिमाण्ड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी, किन्तु आकस्मिकता एवं अपवादित परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित/समाप्त करना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन उपरांत उपरोक्त अनुसार नियत रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।
03.	यदि किसी कारणवश उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है, तब मुख्यालय मण्डला में माह-मई-2026 में श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला एवं माह-जून-2026 में श्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला तहसील निवास में माह-मई-2026 में श्रीमति पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला-मण्डला एवं माह जून 2026 में सुश्री सैफी ताजीर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास तथा तहसील नैनपुर एवं तहसील बिछिया में उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी।
04.	रिमाण्ड ड्यूटी दिन के 3:00 बजे से दिन के 5:00 बजे तक संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने न्यायालय में बैठकर की जावेगी।


 (मोहम्मद जफर खान)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जिला मण्डला (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- (1)– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (2)– श्री डॉ. अल्तमश रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (3)– श्रीमती नेहा रहमान खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (4)– डॉ. स्वाती चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (5)– श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (6)– सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (7)– सुश्री वात्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।
- (8)– श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर ।
- (9)– श्रीमति पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास ।
- (10)– सुश्री सैफी तनजीर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास ।
- (11)– श्रीमती मीनल गजबीर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिछिया, जिला मण्डला ।
- (12)– जिला अभियोजन अधिकारी, मण्डला को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे तहसील एवं जिला मण्डला पर रिमाण्ड के दिन अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करायेँ और उनकी ड्यूटी निर्धारित कर प्रतिलिपि इस न्यायालय को प्रेषित करें ।
- (13)– निष्पादन लिपिक, सी.जे.एम. कोर्ट, मण्डला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- (14)– सिस्टम आफिसर, जिला-मण्डला को ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(मोहम्मद जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला मण्डला(म.प्र.)